संख्या : सं.नि./राज./10-11-रा..भा. दिनांक : 24 जून, 2010

परिपत्र

ऐसा देखने में आ रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज यथा कार्यालय आदेश, परिपत्र, रिपोर्टें, टेंडर,करार आदि जिनका हिंदी व अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किया जाना समादेशात्मक है, केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं ।

मुख्यालय क क्षेत्र में स्थित है एवं अधिकारियों एवं कर्मचारी भी हिंदी में प्रवीण हैं । हिंदी टंकक आदि जानने वाले भी शाखाओं में मौजूद हैं । राजभाषा नियम 8(4) में भी यह विहित है कि हिंदी का ज्ञान रखने वाले कार्मिक अपना टिप्पण एवं मसौदा मूल रूप से हिंदी में निपटाएं

राजभाषा विभाग(भारत सरकार) द्वारा निर्धारित जांच बिन्दुओं के अनुसार यह जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है ऐसे आदेश/परिपत्रों आदि को हिंदी एवं अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करना सुनिश्चित करें ।

यह स्थिति अनुपालन के लिए आपके ध्यान में लाई जा रही है ।

(क्षेत्रपाल शर्मा)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रति सूचना व आवश्यक कार्रवाई के लिए ।

1. वैय.सहा.(महानिदेशक, वित्त आयुक्त)
2. वैय.सहा.(बीमा आयुक्त, चिकित्सा आयुक्त, अपर आयुक्त(का.एवं प्रशा.))
3. मुख्यालय के सभी अधिकारी गण ।
4. सभी शाखाएं, मुख्यालय ।
5. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल ।
6. वि.रा.का.स.फाइल ।
7. वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु